अध्याय 5

अपने प्रतिनिधियों का चुनाव और उनके साथ कार्य करना

एक सक्रिय और संलिप्त नागरिक बनें

कल्पना कीजिए कि आपको एक घर बनाने की ज़रूरत है| ज़ाहिर है कि आप ख़ुद घर नहीं बना सकते हैं | आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं और उन्हें इस बात के लिए राज़ी करते हैं कि अगर वे आपकी मदद करें तो उनमें से हरेक आपके घर में रह सकते हैं |
अब सोचिए कि आप और आपके कुल पचास दोस्त मिल कर घर बनाने की कोशिश कर रहे हों और हरेक के पास घर बनाने के लिए अपना ही विचार हो | कुछ का सोचना हो कि घर कम से कम दो मंज़िला होना चाहिए, और कुछ का सोचना है कि इसको एक मंज़िला ही होना चाहिए| हर कोई चिल्ला रहा है, अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है| ज़ाहिर है कि कोई भी दूसरों की बात नहीं सुन रहा है |
तो आख़िरकार हरेक समूह में से एक व्यक्ति को उनकी तरफ़ से बोलने के लिए चुना जाता है | ये दोनों वक्ता, जिन्हें हम प्रतिनिधि कह सकते हैं, अपने अपने समूह की तरफ़ से आपस में बातें करते हैं और आख़िरकार इस बात पर राज़ी होते हैं कि दो मंज़िला मकान हरेक के लिए बेहतर रहेगा| इसके बाद दो मंज़िला मकान चाहने वाले समूह के लोग हरेक व्यक्ति को अलग-अलग समूहों में संगठित करते हैं जिनके ऊपर घर का अलग-अलग हिस्सा बनाने की ज़िम्मेदारी होगी |

इस स्थिति में घर बनाने के इच्छुक लोग एक देश के नागरिक हैं और दोनों प्रतिनिधि देश का संसद हैं | देश में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए हरेक व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है| हरेक व्यक्ति की राय सुनी जाए इसके लिए हम चुनते हैं| हम एक प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालते हैं| यह एक ऐसा राजनेता होता है जो संसद में हमारे लिए बोलता है |

हमारे संविधान के मुताबिक, जो भी व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का है वह वोट डाल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है और गाड़ी चला सकता है, अपनी मर्ज़ी से किसी अनुबंध में शामिल हो सकता है | दूसरे शब्दों में, क़ानून यह स्वीकार करता है कि 18 साल का एक व्यक्ति स्वतंत्र फ़ैसले लेने के लिए भरोसेमंद माना जा सकता है और अपने फैसलों के लिए ज़िम्मेदारी उठा सकता है| और जहाँ फ़ैसले लेने की आज़ादी है, वहाँ उस आज़ादी पर अमल करने की ज़िम्मेदारी भी है| असली बदलाव लाने के लिए, आपको जागरुक बनने, सक्रिय बनने और अपने दोस्तों को जागरुक और सक्रिय बनने में मदद करने की ज़रूरत भी है |

अपनी आज़ादी का जिन क्षेत्रों में उपयोग करने की हम पर ज़िम्मेदारी है, उनमें से एक क्षेत्र है राजनीति का क्षेत्र | आपको लग सकता है कि राजनीति तो राजनेताओं का काम है और आप इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते | लेकिन यह सच नहीं है | ऐसा सोचना ग़लत होगा | आप बदलाव लाने की ताक़त ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ रहे हैं जो हो सकता है कि आपकी समस्याओं के बारे में न समझते हों या शायद वे उन्हें जानते ही न हों | समाज में और आपकी अपनी जगह में बदलाव लाने में सक्षम बनने के लिए आपको राजनीति के क्षेत्र में आने की ज़रूरत है| उस स्तर पर बदलाव लाने के लिए यह सबसे शक्तिशाली चीज़ है | राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न हिस्से हैं और विभिन्न बिंदु हैं और आप इनमें किसी में भी हिस्सेदारी कर सकते हैं |

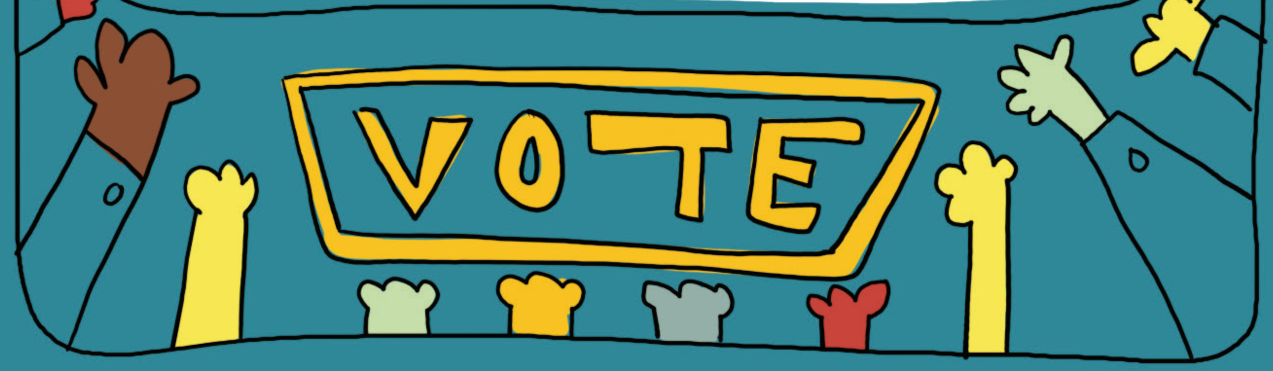

तो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के कौन से तरीके हैं? हमने 5 तरीके पहचाने हैं जिनसे आप बदलाव ला सकते हैं|

अपना वोट डाल कर
सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन भर कर
नीति बनाने वालों से बातें करके
किसी मक़सद के पक्ष में प्रचार करके
ख़ुद नीति निर्माता या राजनेता बन कर

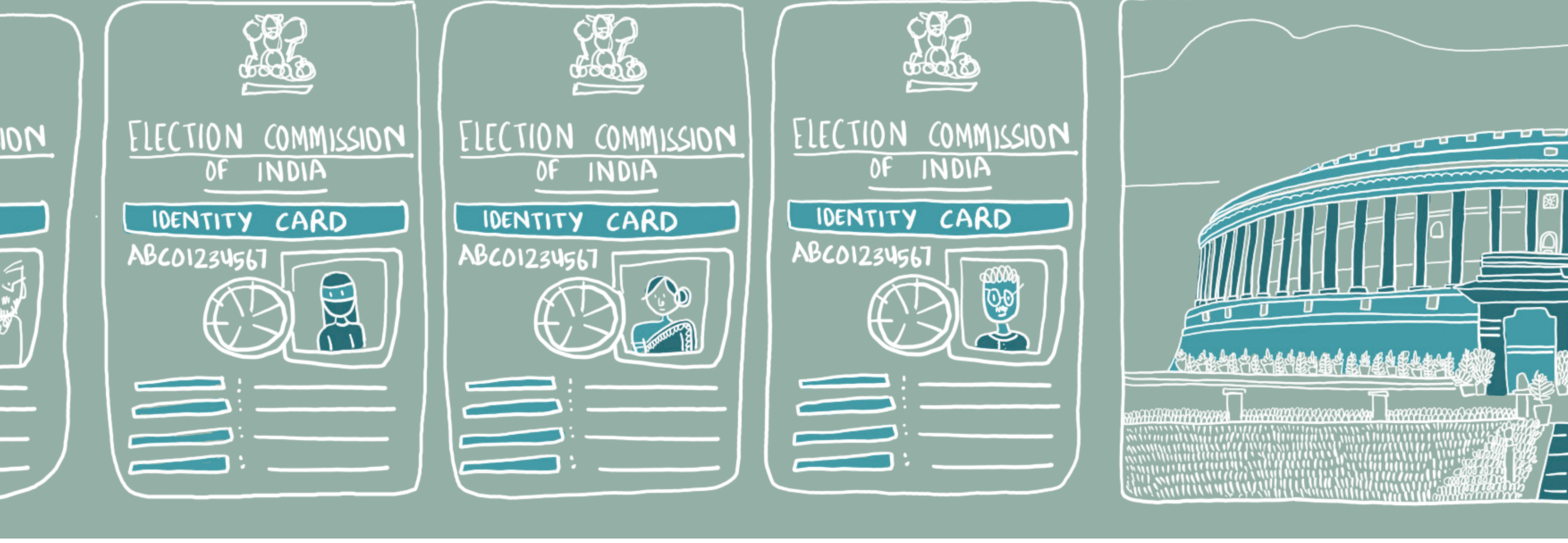

वोट कौन डाल सकते हैं?

संसद को शक्ति आपसे और भारत के सभी नागरिकों से मिलती है - यह आपके वोट से आती है | इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप किस जेंडर, जाति, धर्म या किसी दूसरी पहचान वाले व्यक्ति हैं | क्या आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप भारत के नागरिक हैं? वोट डालना आपका अधिकार और कर्तव्य है |

आप नहीं जानते हैं कि मतदाता सूची में पंजीकरण कैसे करें? भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट देखें https://eci.gov.in/voter/voter-registration/

अनुच्छेद 325 - इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा हरेक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची तैयार की जाएगी | मतदाता सूची में एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी योग्य मतदाताओं का रेकॉर्ड होता है | यह अनुच्छेद कहता है कि किसी को भी सिर्फ़ उसके धर्म, नस्ल, जाति, सेक्स या इनमें से किसी भी आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से मना नहीं किया जा सकता है | इसका मतलब यह है कि अगर आप चुनाव अधिकारियों के पास जाकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की माँग करते हैं और वे जाति, धर्म, जेंडर या नस्ल का बहाना बना कर इससे इन्कार करते हैं तो ये अधिकारी संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे होंगे |

अनुच्छेद 326 - यह अनुच्छेद कहता है कि 18 साल की उम्र से ऊपर भारत का हरेक नागरिक एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हक़दार है, बशर्ते क़ानून के ज़रिए उसको इसके अयोग्य न ठहराया गया हो |

वोट डालने का हमारा अधिकार -

संविधान क्या कहता है?

अनुच्छेद 324 - इस अनुच्छेद में संविधान भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति पदों के लिए, और संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग को ज़िम्मेदारी देता है | इस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को ऐसे चुनाव कराने के लिए नियंत्रण और निगरानी की शक्तियाँ भी देता है |

आज़ादी के मौक़े पर 18 साल से ऊपर हरेक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार देते हुए भारत ने एक रेडिकल काम किया था | असल में उस वक़्त कई दूसरे विकसित देशों में महिलाओं, ब्लैक लोगों या अल्पसंख्यक धर्मों के लोगों को वोट डालने से बाहर रखा गया था | इसलिए जब आप पहली बार वोट डालने जा रहे हों, तब आप संविधान सभा के इस ऐतिहासिक फ़ैसले को फिर से जीवंत बना रहे हैं |

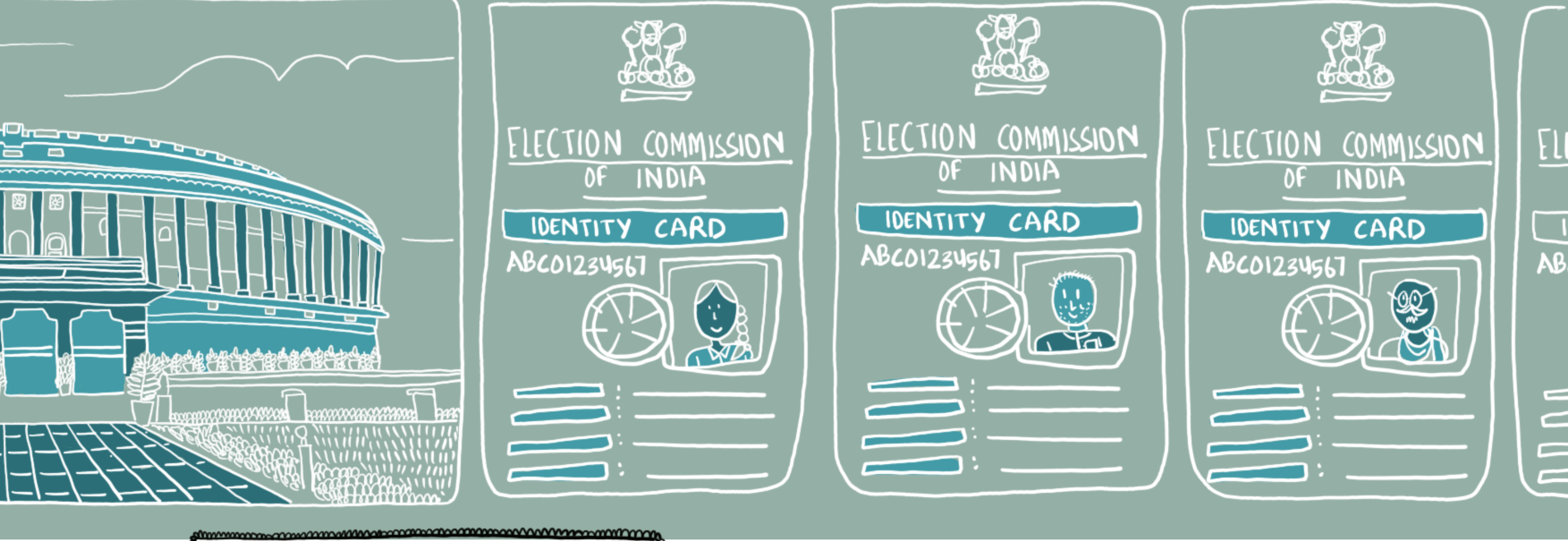

वोट डालने के लिए पंजीकृत हों

यह सुनिश्चित करना भारतीय चुनाव आयोग का काम है कि जिनके पास भी वोट डालने का अधिकार है, उसमें से किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से न रोका जाए | लेकिन यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वोट डालने के लिए पंजीकृत हों | चुनाव पंजीकरण अधिकारी आपके आवेदन को देखेंगे और इसके बाद ही आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा |

चुनाव आयोग के मुताबिक, 2014 में लोक सभा चुनावों के दौरान 18-19 साल आयु वर्ग के 5.04 करोड़ भारतीयों में से सिर्फ़ 45% भारतीय ही वोट डालने के लिए पंजीकृत थे | इसका मतलब यह है कि 27310000 युवा भारतीय उस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे और नहीं डाल पाए | यानी 2.73 करोड़ युवा भारतीयों की आवाज़ संसद में नहीं पहुँच पाई | आप इसकी इजाज़त न दें कि दूसरे लोग आपकी तरफ़ से सोचें और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जो आपकी इच्छाओं के अनुकूल न हो | आप वोट डाल कर अपना समर्थन या विरोध दर्ज कराएँ | इसे सुनिश्चित करें कि आपकी आवाज़ सुनी जाए |

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 इस मामले में अहम है कि इसमें मतदाता सूची तैयार करने के तरीक़ों को लेकर नियम स्थापित किए गए हैं | साथ ही ऐसी स्थितियाँ बताई गई हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को इस सूची से बाहर रखा जा सकता है |

- तो कैसे व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते हैं? जो भारत के नागरिक नहीं हैं |
- ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में अदालत ने कहा कि वे मानसिक रूप से सक्षम नहीं हैं |
- ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार या चुनाव संबंधी दूसरे अपराधों के लिए क़सूरवार ठहराए जा चुके हैं |

आप वोट डालने से अयोग्य न ठहरा दिए जाएँ, इसके लिए आपको कुछ चीजों को याद रखना ज़रूरी है |

- आप सिर्फ़ एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों |
- एक निर्वाचन क्षेत्र में आप एक से अधिक बार पंजीकृत न हों
- इसे सुनिश्चित करें कि आप जिस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं उसी में पंजीकृत हों |

पता लगाएँ कि अगले दौर के चुनाव कौन-से हैं और कब होने हैं | ये आम चुनाव हो सकते हैं, राज्य विधान सभा के चुनाव हो सकते हैं, नगरपालिका/पंचायत या स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं | या फिर ये उपचुनाव हो सकते हैं |

इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि संविधान की प्रस्तावना "हम भारत के लोग" से शुरू होती है और इसका अंत "अपने आपको यह संविधान सौंपते हैं" से होता है | ये हम लोग हैं जो मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी करके अपने लोकतंत्र की रक्षा करते हैं |

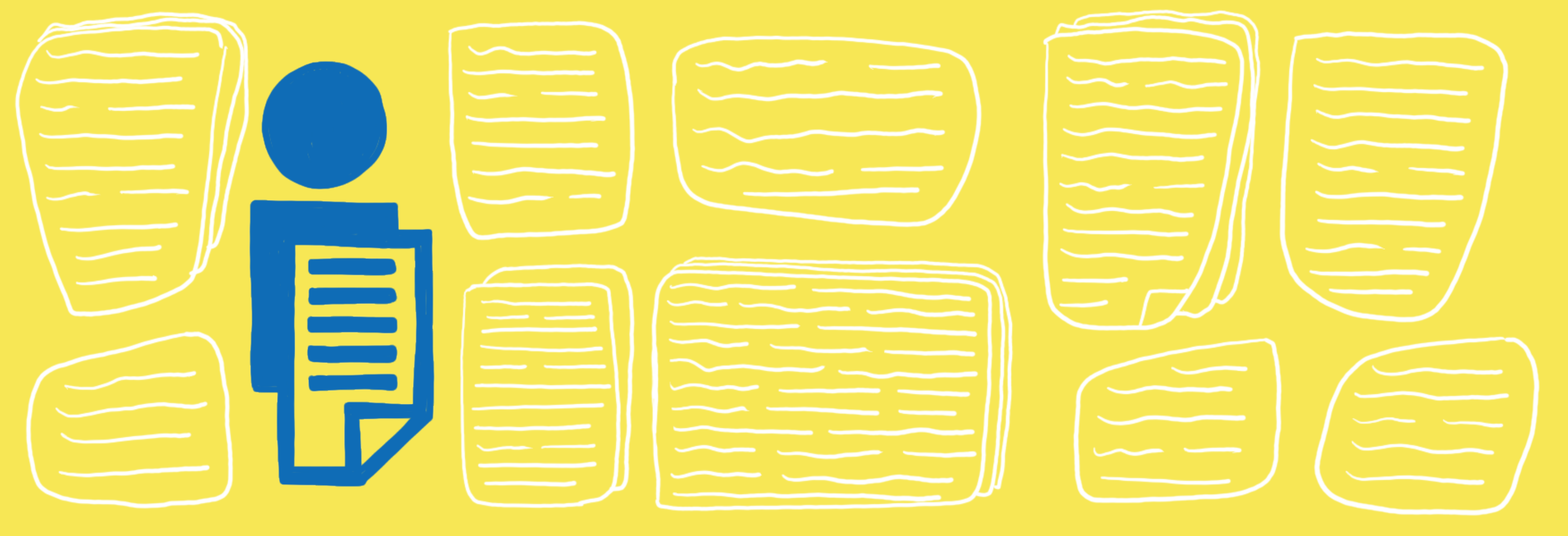

संसद को शक्ति आपसे और भारत के सभी नागरिकों से मिलती है - यह आपके वोट से आती है. इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप किस जेंडर, जाति, धर्म या किसी दूसरी पहचान वाले व्यक्ति हैं. क्या आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप भारत के नागरिक हैं? वोट डालना आपका अधिकार और कर्तव्य है.

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा किए गए एक लंबे आंदोलन का परिणाम है और यह नागरिक समाज की कार्रवाई का एक शानदार उदाहरण है। इस अधिनियम के इतिहास को जानें कि यह कैसे अस्तित्व में आया।

आरटीआई अधिनियम क्या है?

❀ यह अधिनियम कहता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है. सभी नागरिक किसी भी सार्वजनिक कार्यालय/अधिकारी से सूचना माँग सकते हैं.

जैसे कि भरसिंह वासवा दक्षिण गुजरात में समोर नाम के एक गाँव से आने वाले एक आदिवासी हैं. उन्होंने कक्षा 7 तक पढ़ाई की है. भारत के एक नागरिक के रूप में उनके पास अपने गाँव में बन रही सड़क की गुणवत्ता के बारे में जानने का अधिकार है. इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि उनकी सामाजिक हैसियत और योग्यता क्या है.

❀ आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकार से जुड़े किसी भी अधिनियम, नीति या फ़ैसले से जुड़ी विभिन्न क़िस्म की सूचनाएँ माँगी जा सकती हैं. ये आंतरिक मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस रिलीज़, सर्कुलर, आदेश, आधिकारिक कार्यवाहियों संबंधी काग़ज़, नमूने आदि हो सकते हैं.

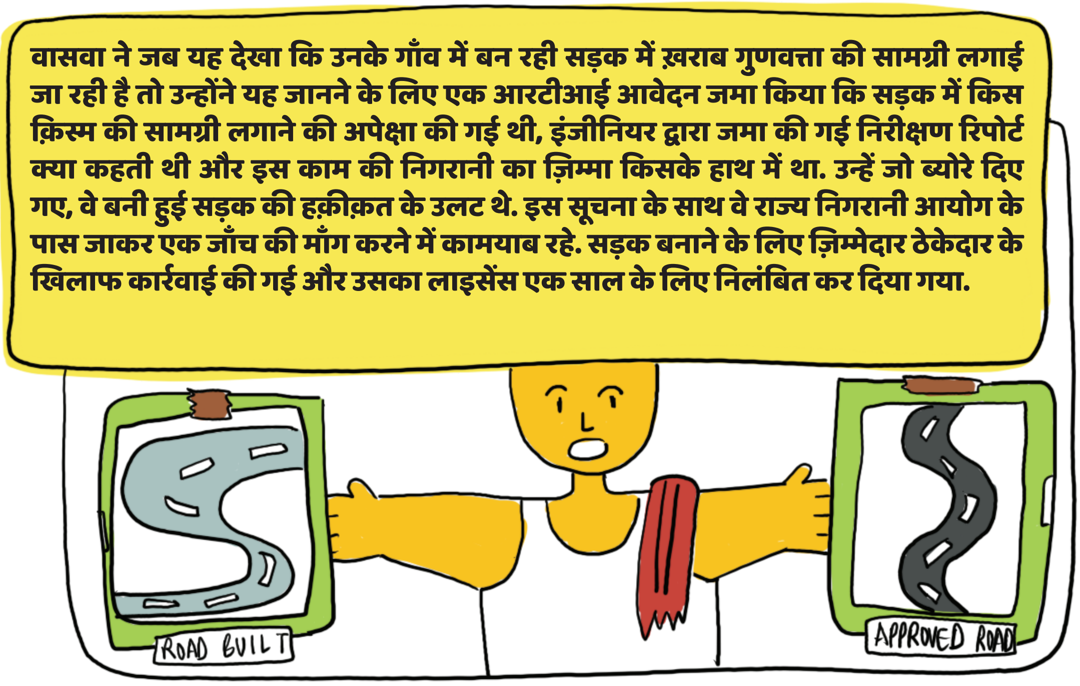

याद रखें कि...

- आप सीडी में या पेन ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में सूचना की माँग कर सकते हैं. आप ख़ुद जाकर दस्तावेज़ों को देख सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं.
- यह अधिनियम सभी सार्वजनिक प्राधिकारों से यह माँग भी करता है कि वे ख़ुद जनता से जुड़ी सूचनाओं को सहज रूप में अपनी वेबसाइट पर मुहैया कराएँ.
- आरटीआई आवेदन भेजते समय आपको सूचना माँगने की वजह बताना ज़रूरी नहीं है.
- प्राधिकार के लिए माँगी गई सूचना को 30 दिनों के भीतर मुहैया कराना कानूनन ज़रूरी है.
- अगर सार्वजनिक प्राधिकार 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते, या आपकी अर्जी को ख़ारिज कर देते हैं या उनका जवाब अधूरा या असंतोषजनक है, तब सूचना माँगने वाला नागरिक इसके ख़िलाफ़ अपील कर सकता है. इसके लिए अपील को राज्य सूचना आयोग के यहाँ दर्ज किया जा सकता है जिसकी स्थापना हरेक राज्य में की गई है. इसके ऊपर केंद्रीय सूचना आयोग काम करता है.
- अगर कोई सार्वजनिक प्राधिकार सूचना का अधिकार या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें सज़ा हो सकती है.

आरटीआई कैसे दाखिल करें

आरटीआई दाखिल करना एक बहुत ही सरल और सस्ता तरीक़ा है.

क़दम 1

आप जो सूचना पाना चाहते हैं, वह किसा सार्वजनिक कार्यालय और जन सूचना अधिकारी से हासिल होगी, इसकी पहचान करें.

क़दम 2 आवेदन लिखें. भाषा साफ़ और सरल होना ज़रूरी है. निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करना ज़रूरी है.

- नाम
- पता
- भुगतान की विधि
- संपर्क, अगर आप दस्तावेज़ों को ख़ुद जाँचना चाहते हैं या उनकी एक प्रति हासिल करना चाहते हैं तो इसका उल्लेख करें

क़दम 3 ऑनलाइन या किसी पोस्टऑफिस के ज़रिए 10 रुपए मनीऑर्डर करें. कुछ मामले में इसकी छूट दी गई है. जैसे कि ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को यह राशि अदा करनी ज़रूरी नहीं है. इस छूट का लाभ उठाने के लिए ग़रीबी रेखा से नीचे रहने का बीपीएल प्रमाण पत्र साथ में लगाना ज़रूरी है.

क़दम 4 आवेदन जमा करें. इसको ऑफ़लाइन भरा जा सकता है, डाक से भेजा जा सकता है, या ऑनलाइन भी सरकारी पोर्टल के ज़रिए जमा किया जा सकता है.

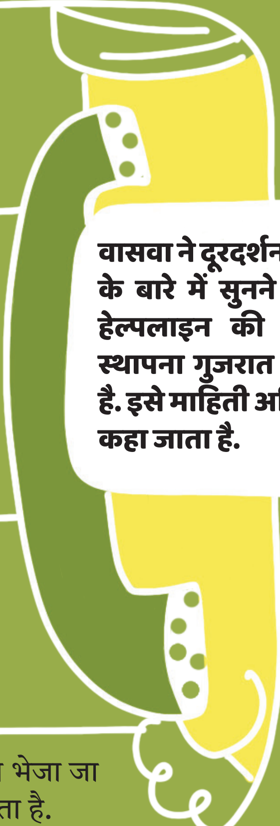

वासवा ने दूरदर्शन पर आरटीआई एक्ट के बारे में सुनने के बाद आरटीआई हेल्पलाइन की मदद ली, जिसकी स्थापना गुजरात राज्य सरकार ने की है. इसे माहिती अधिकार गुजरात पहेल कहा जाता है.

सुनिश्चित करें कि आपने

- ऐसी सूचना नहीं माँगी है जिसको आरटीआई अधिनियम के सेक्शनों 8 और 9 के तहत उजागर नहीं किया जा सकता है.
- जो जानकारी माँगी है वह पहले से ही सार्वजनिक जानकारी में नहीं है या किसी सार्वजनिक कार्यालय की वेबसाइट पर नहीं है.
- वही सूचना माँगी है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकार के पास है या उसके नियंत्रण में है.
- ऐसी सूचना माँगी है जिसे निर्धारित समयावधि में मुहैया कराया जा सकता है और वह सार्वजनिक प्राधिकार पर अनुचित बोझ नहीं डालेगी.
- ऐसी सूचना माँगी है जो किसी जनहित या गतिविधि से जुड़ी हुई है.
- ऐसा आवेदन नहीं भरा है जो फूहड़, चिढ़ाने वाला या बदनीयती भरा हो

आरटीआई का इस्तेमाल करने में बाधाएँ

सार्वजनिक कार्यालय किसी न किसी छूट का हवाला देकर सूचना देने से इन्कार कर सकते हैं.

सार्वजनिक कार्यालय सूचना देने में देरी कर सकते हैं या अधूरी सूचना दे सकते हैं. यहाँ तक कि नागरिकों द्वारा अपील दायर किए जाने के बाद भी, लंबित अपीलों की भारी संख्या को देखते हुए इस पर कार्रवाई में देर हो सकती है.

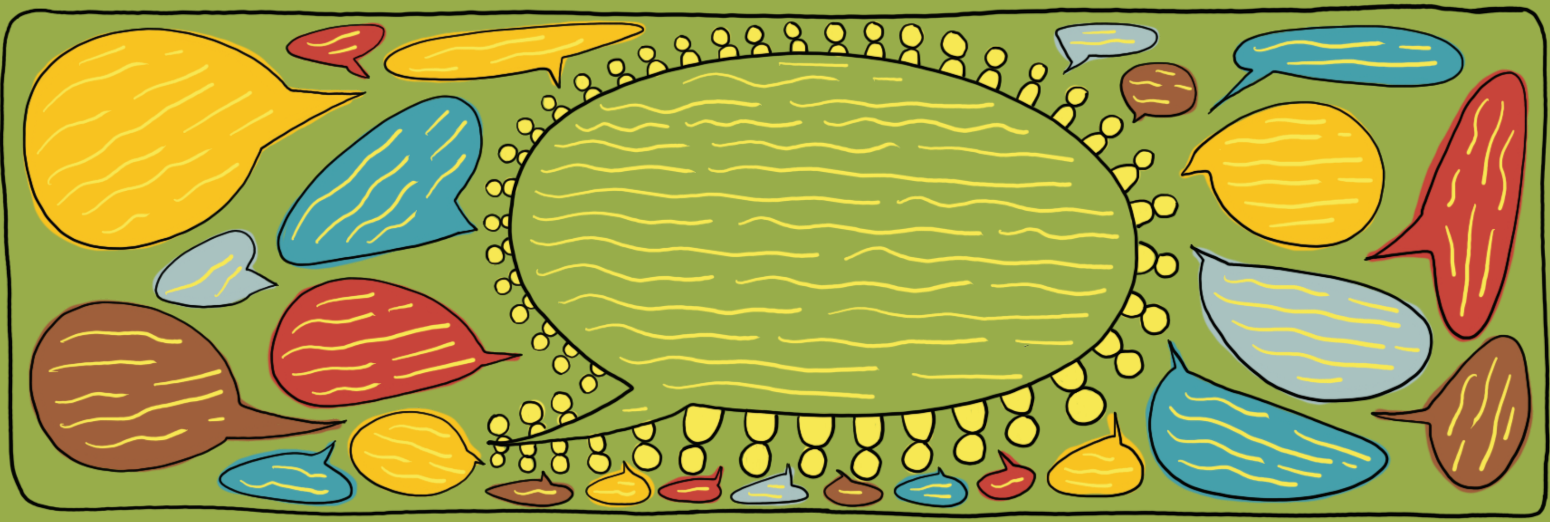

वासवा एक सच्चे आरटीआई योद्धा हैं, लेकिन जो बात उन्हें कारगर योद्धा बनाती है वो यह है कि वे सूचना हासिल करने के बाद रुक नहीं गए. उन्हें जो सूचना मिली थी, उसके आधार पर उन्होंने संबद्ध कार्यालय से संपर्क करके यह सुनिश्चित किया कि उन्होंने जिस समस्या की पहचान की थी वह हल हो. सूचना हासिल करना एक अहम क़दम है, लेकिन इसके बाद भी क़दम उठाना ज़रूरी है. कार्रवाई करना ज़रूरी है. एक नागरिक के रूप में संभव है कि हम सड़कें बनवा पाने में कामयाब न हों, लेकिन हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और इसके बारे में पता लगाते रह सकते हैं.

जिस तरह आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई आवेदन किसके पास भेजना है, उसी तरह आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि किसी सार्वजनिक कार्यालय संबंधी समस्या में किससे संपर्क किया जाए. तो बदलाव लाने के लिए आपको किन लोगों से बात करना ज़रूरी है?

नीति और क़ानून कौन बनाते हैं?

क़ानून विधायिकाओं में बनते हैं. घर बनाने वाले उदाहरण में ये वो लोग थे जो हरेक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जिन्होंने अंतिम तौर पर यह फ़ैसला लिया कि घर कितनी मंज़िलों का होगा और इसका आम ढाँचा क्या होगा. हमारे संविधान में इन विधायिकाओं के प्रावधान दिए गए हैं

- भारत के संसद में दो सदन हैं - लोक सभा और राज्य सभा
- हरेक राज्य में विधान सभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद
- स्थानीय स्तर पर नगर परिषद और पंचायत
- इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के ज़रिए हमारे लिए क़ानून बनाना होता है. इसका मतलब यह है कि उन्हें क़ानून बनाने के दौरान पक्षकार लोगों (stakeholder) से संवाद करना होता है. इस मक़सद से, विधायी संस्थाएँ ऐसी समितियाँ बनाती हैं जो प्रस्तावित क़ानून और नीतियों पर लोगों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करती हैं.

जैसे कि स्त्री एवं युवा मामले पर संसदीय समिति ने 2021 में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे में टिप्पणियाँ माँगी थीं और युवाओं और स्त्रियों के समूहों से अनेक विचार हासिल किए.

नीति और क़ानून कौन लागू करते हैं?

विधायिका जो क़ानून बनाती है, उसको लागू करने की ज़िम्मेदारी कार्यपालिका या सरकार पर है. ये शासन का काम देखती है. घर बनाने के उदाहरण में, हम कार्यपालिका या सरकार की तुलना उन लोगों से कर सकते हैं जिन्होंने प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए फ़ैसले के मुताबिक़ असल में घर बनाया. सरकार योजनाएँ, कार्यक्रम, नियम, और नियमन बनाती है जो क़ानूनों को लागू करना संभव बनाते हैं.

जैसे कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति पर व्यापक सलाह-मशविरा किया. इसे 2 लाख से अधिक सुझाव हासिल हुए, जिनको 2020 में जारी की गई अंतिम नीति में ध्यान में रखा गया

सार्वजनिक सलाह-मशविरे में भागीदारी

सरकार 2014 में प्राक-विधायी परामर्श नीति (पीएलसीपी) ले आई थी, जिसके साथ किसी विधेयक, नियम, योजना आदि को तैयार करने से पहले सार्वजनिक परामर्श लेने की अधिक कोशिशें की जाने लगी हैं. यह नीति विशेष रूप से इसकी पहचान करती है कि सार्वजनिक परामर्श लेने से सरकार को अधिक पारदर्शी और सूचनाओं पर आधारित (informed) बनाने में मदद मिलती है. इससे आम सहमति बनाने में मदद मिलती है और जब इसको लागू किया जाएगा तो लोगों में इसको लेकर कम प्रतिरोध होगा. सार्वजनिक परामर्श यह सुनिश्चित करेगा कि कोई क़ानून या नीति बनाने से पहले विभिन्न पक्षकारों को ध्यान में रखा गया है.

सार्वजनिक परामर्श क्यों अहम है?

i. हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं.
ii. विभिन्न पक्षकारों की राय को ध्यान में रखा जाता है.
iii. दिए गए विचारों के आधार पर हरसंभव अच्छे क़ानून या योजनाओं का निर्माण हो सकता है.

□. आप ऐसी किसी योजना, नीति या क़ानून के बारे में जानते हैं जिसके लिए सरकार ने लोगों से राय माँगी हो? अगर हाँ, तो कौन-सी योजना, नीति या क़ानून?
□□. क्या आपने कभी किसी प्रस्तावित क़ानून, नीति या योजना पर सार्वजनिक परामर्श में भागीदारी की है? आपका अनुभव कैसा था? परामर्श में भाग लेने के लिए आपने कौन-सी प्रक्रिया अपनाई, आपने इसकी तैयारी कैसे की? इसका नतीजा क्या रहा, क्या आपके विचारों को क़ानून या योजना में शामिल किया गया?
□□□. क्या आप भविष्य में किसी प्रस्तावित क़ानून, नीति या योजना पर सार्वजनिक परामर्श में भागीदारी करेंगे?
□□. आप अपने आस-पास के लोगों को, अन्य युवाओं को एक सक्रिय नागरिक बनने के लिए किस तरह प्रेरित करेंगे?

सक्रिय नागरिक बनने के कौशल कैसे सीखें?

- अपनी राय बनाने के लिए विशेषज्ञों से संवाद करें |
- संसद और विधानसभाओं के सत्रों को देखें |
- क़ानून, योजनाओं के मसौदों से जुड़ी ख़बरों को देखें |

इन दिनों अनेक सरकारी विभाग सीधे युवाओं से जुड़ते हैं, जिसमें वे विभिन्न क़ानूनों और योजनाओं को लागू करने में प्रशासन के साथ काम करने के लिए फ़ेलोशिप देते हैं | जैसे कि मुख्य मंत्री अर्बन लीडर फ़ेलोशिप के ज़रिए युवा लोग दिल्ली सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम कर सकते हैं |

नीति बनाने में योगदान देने में आनेवाली संभावित मुश्किलें

* हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि या सरकार में सार्वजनिक परामर्श लेने की इच्छा का अभाव हो सकता है |
* जिन क़ानून और योजनाओं पर सार्वजनिक परामर्श माँगा जा रहा है, उनमें से कुछ इतने तकनीकी रूप से बारीकी वाले हो सकते हैं कि आम नागरिक या युवा समूह की समझ से बाहर हो |
* कोई परामर्श जिस भाषा और शैली में लिया जाता है, उससे भी कई लोग इसमें भागीदारी करने में अक्षम हो सकते हैं |
* कई बार लोग और ख़ास कर युवक नीतियाँ बनाने में योगदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि सूचना कहाँ मिलती है या हो सकता है कि वे अपने जीवन के रोज़मर्रा के संघर्षों में इतने व्यस्त हों कि वे ऐसी पहलक़दमियों पर ध्यान नहीं दे सकते हों |

एकवोकेसी क्या होती है?

इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक सफल एडवोकेसी की कहानी सुनाएँगे |

मध्य राजस्थान के गाँवों से मज़दूरों और किसानों ने मिलकर 1990 में मज़दूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) नाम का एक जनसंगठन बनाया | मूल संघर्ष एक ज़मींदार के ख़िलाफ़ था जिसने सामुदायिक ज़मीन पर ग़ैरक़ानूनी क़ब्ज़ा बना रखा था | आख़िरकार यह संघर्ष न्यूनतम मज़दूरी के लिए संघर्ष में बदल गया | लेकिन उन्होंने यह बात समझी कि उन्हें अपने संघर्ष को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत समेत स्थानीय सरकारी संगठनों के वित्तीय रेकॉर्ड तक पहुँच होना ज़रूरी है | इस तरह सूचना के लिए माँग शुरू हुई, ताकि वे सरकार को जवाबदेह बना सकें | पहले जो बात एक स्थानीय संघर्ष थी, वह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गई जिसका अंजाम 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किए जाने में हुआ | यह सब इसलिए हो पाया कि लोग अपने अधिकारों की माँग के लिए आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हुए |

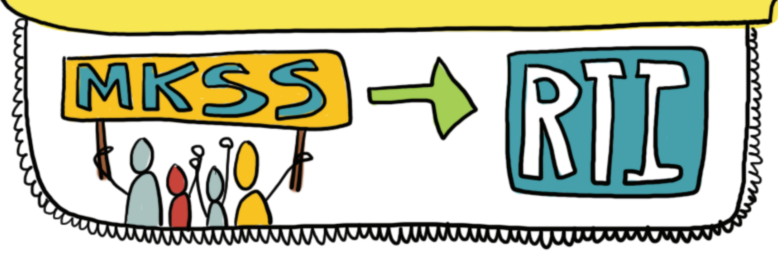

यह कहानी बताती है कि बदलाव लाने के लिए लोगों का साथ आना, संघर्ष करना, क़ानूनों में बदलाव की माँग करना और उस बदलाव को साकार करने के लिए काम करना ज़रूरी है | इसलिए एडवोकेसी अहम है क्योंकि अगर हम ख़ुद अपने लिए नहीं आवाज़ उठाते हैं तो कोई भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा |

मक़सद के लिए योजना

किसी मक़सद के लिए एडवोकेसी करने के लिए हम सुझावों के रूप में कुछ रणनीतियाँ पेश कर रहे हैं | मुमकिन है कि कोई अकेली रणनीति अपने आप में काम न करे, इसलिए आपको उन्हें मिला-जुला कर उपयोग में लाना पड़ेगा | यह इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कैसे संसाधन हैं, आपका मुद्दा क्या है और आपको किसके सामने आवाज़ उठानी है |

नीति बनाने वालों के पास याचिकाएँ और चिट्ठियाँ लिखें: आम तौर पर ऐसी याचिकाओं और चिट्ठियों में मुद्दे का ब्योरा और उसके कुछ सबूत होते हैं | साथ ही इनमें कार्रवाई का तरीका, नीति में बदलाव के सुझाव होते हैं जो मुद्दे को हल कर सकते हैं |

2020 में सरकार ने एनवायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं, जिसमें विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी देने से पहले पर्यावरण पर होने वाले उनके प्रभावों का एक जायज़ा ज़रूरी बनाया गया था | नोटिफिकेशन को सिर्फ़ अंग्रेज़ी और हिंदी में उपलब्ध कराया गया और टिप्पणियाँ भेजने के लिए महज़ कुछ ही दिन दिए गए थे | फ्राइडेज़ फ़ॉर फ्यूचर जैसे युवाओं के नेतृत्व वाले पर्यावरणवादी समूहों ने लाखों युवाओं को एकजुट किया कि वे मंत्रालय को इस नोटिफिकेशन पर अपनी चिंताओं और सरोकारों को भेजें और बदलाव सुझाएँ | आख़िरकार सरकार ने समयसीमा बढ़ाई और नोटिफिकेशन को 22 भाषाओं में प्रकाशित किया |

एक समूह बनाएँ - युवा अपने समूह, समाज (सोसायटी) और संगठन भी बना सकते हैं | वे अपनी पहलक़दमियाँ शुरू कर सकते हैं जो नीतियाँ बनाने वालों के साथ मिल कर काम करें और नीतियाँ बनाने में योगदान दें | नीतियाँ बनाने में युवाओं द्वारा शुरू की गई इन पहलक़दमियों का बड़ी भूमिका रही है - हकदर्शक, सिविस, समग्र, स्वनीति इनिशिएटिव, माध्यम इनिशिएटिव, यंग लीडर्स फ़ॉर एक्टिव सिटिज़नशिप (YLCA), झटका, आदि |

बैठकें, सेमिनार, चर्चाएँ आयोजित करें - नागरिकों के एक बड़े और व्यापक समूह के बीच में जागरुकता बनाने के लिए इनका आयोजन किया जा सकता है | इनसे आपके द्वारा चलाई जा रही पैरवी की कोशिशों में मदद के लिए नेटवर्क तैयार हो सकते हैं और ऐसे सबूत और शोध तैयार किए जा सकते हैं जिनसे आपके मक़सद को मज़बूती मिलेगी |

ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान चलाएँ - यह भी एडवोकेसी का एक बहुत जाना-माना तरीक़ा है, जहाँ Change.org जैसे किसी मंच पर एक याचिका शुरू की जा सकती है और दूसरे नागरिकों के हस्ताक्षर जुटा कर नीतियाँ बनाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाए जा सकते हैं |

मीडिया और सोशल मीडिया अभियान चलाएँ - प्रेस सम्मेलनों, अख़बारों में लेखों, समाचार चैनलों में साक्षात्कारों, समर्थकों द्वारा शेयर किए जाने वाले सोशल मीडिया अभियान चला कर नीतिगत मुद्दों को जनता के सामने अधिक से अधिक लाया जा सकता है और जागरुकता बनाई जा सकती है | इससे समर्थन जुटाने और नीतियाँ बनाने वालों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी |

कला, संस्कृति का इस्तेमाल बदलाव के लिए करें - अनेक अभियानों में कविताएँ लिखी जाती हैं, गीत रचे जाते हैं, पोस्टर और दूसरी तरह की रचनात्मक चीजें तैयार की जाती है | इससे दूसरे नागरिकों और नीतियाँ बनाने वालों को अपनी माँगों से जोड़ने में मदद मिलती है |

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करें - किसी नीति या किसी नीतिगत मुद्दे पर बदलाव की माँग को रेखांकित करने के लिए अपना असंतोष या असहमति ज़ाहिर करने का यह एक क़ानूनी तरीक़ा है जिसका व्यापक इस्तेमाल होता है | 2011 में अधिकतर युवाओं के नेतृत्व में इंडिया अगेन्स्ट करप्शन के बैनर से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी माँग थी कि लोकपाल नाम की एक संस्था बनाने के लिए एक कड़ा क़ानून लाया जाए | यह संस्था सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करती | राष्ट्रव्यापी आंदोलनों के बाद आख़िरकार संसद ने 2013 में लोकपाल विधेयक पारित कर दिया |

अदालत में याचिका दाख़िल करें - कभी-कभी किसी नीति में बदलाव लाने के लिए अदालत के पास जाना अहम होता है | वे ऐसे नीतिगत दिशानिर्देश जारी कर सकती हैं और सरकार को उन पर कार्रवाई करने को प्रोत्साहित कर सकती हैं |

बेंगलुरू में झटका नाम से युवाओं द्वारा चलाए जा रहे एक नागरिक अभियान ने कर्नाटक सरकार से माँग करते हुए एक याचिका की शुरुआत की कि वह शहरी गतिशीलता से जुड़े मुद्दों को दूर करने के लिए एक क़ानून ले आए | वे कई विधायकों से मिले और अपनी याचिकाएँ जमा कीं | उन्होंने भी सरकार से इस दिशा में एक विधेयक ले आने की माँग की | आख़िरकार बेंगलुरू मेट्रोपोलिटन लैंड ट्रांस्पोर्ट अथॉरिटी बिल 2022 में विधानसभा में पेश किया गया |

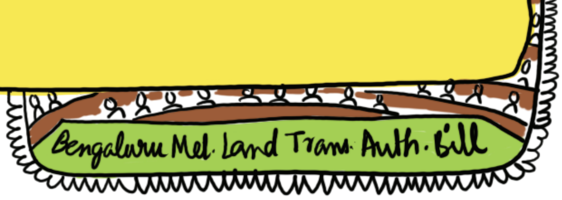

क्या आप ऐसे किसी नीतिगत मुद्दे के बारे में सोच सकते हैं जिसकी आप एडवोकेसी करना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप कौन से क़दम उठाएँगे और आपकी रणनीति क्या होगी?

क्या आपने किसी नीतिगत बदलाव की माँग करने वाले किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है? अगर हाँ तो किस मुद्दे पर? ऐसा करके आपको कैसा लगा और उस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला?

सरकार की किसी नीति के ख़िलाफ़ शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन करना क्या एक मौलिक अधिकार है? अगर हाँ तो इस अधिकार पर किस तरह की सीमाएँ लगाई जा सकती हैं?

नीति निर्माता बनें

नीतियाँ बनाने की प्रक्रिया में और नीतियाँ बनाने वालों के साथ काम करते हुए एडवोकेसी करना बदलाव लाने और एक सक्रिय व संलिप्त (engaged) नागरिक बनने का एक सशक्त तरीक़ा है | लेकिन सिर्फ़ चुनाव लड़ कर और नीति निर्माता बनते हुए ही कोई व्यक्ति व्यवस्था के भीतर से बदलाव को प्रभावित कर सकता है |

इक्कीस साल की लक्ष्मीबाई खनन की गतिविधियों के चलते अपने समुदाय की सेहत और आजीविका के मुद्दों से चिंतित थीं | उन्होंने सरपंच के लिए चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया और वे कबरा ग्राम परिषद, भीलवाड़ा, राजस्थान की सरपंच बन गईं | अब ये युवा आदिवासी राजनेता चाहती हैं कि दूसरे युवा लोग भी सामने आएँ और पंचायत प्रशासन के लिए चुनाव लड़ें |

नीति निर्माता कौन लोग बन सकते हैं?

- 25 साल की उम्र से अधिक कोई भी व्यक्ति लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव लड़ सकता है |
- पंचायतों और नगरपालिकाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 साल है |

2021 में 21 साल की दो युवा लड़कियों ने केरल में इतिहास रचा|

आर्या राजेंद्रन और रेशमा मरियम रॉय भारत में सबसे युवा मेयर और पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं |

हाल में हुए कुछ राज्य विधानसभा चुनावों में हमने युवाओं की अच्छी भागीदारी देखी और कुछ राज्य विधान सभा चुनावों में युवाओं ने उतनी अच्छी भागीदारी नहीं दिखाई | जैसे कि 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनावों में कुल उम्मीदवारों में से सिर्फ़ 10.32% ही 40 साल से कम उम्र के थे | लेकिन 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में कुल उम्मीदवारों के क़रीब 34% उम्मीदवार 40 साल से कम उम्र के थे | 2022 में ही हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में कुल उम्मीदवारों के 27% उम्मीदवार 40 साल से कम उम्र के थे और ऐसे कुछ उम्मीदवारों ने वरिष्ठ राजनेताओं तक को हराया | जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉट चलाने वाले 35 साल के एक युवक ने 2022 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री को चुनावों में शिकस्त दी |

छात्र राजनीति से शुरुआत

- अपने जीवन में आगे चल सक्रिय राजनेता बनने वाले कई लोग अपने छात्र दिनों में राजनीति में भागीदारी से शुरुआत करते हैं|
- स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हुए किसी राजनीतिक छात्र समूह से जुड़ने, राजनीतिक गतिविधियों, आंदोलनों में भागीदारी करने या चुनाव लड़ने से ऐसे अनुभव मिलते हैं, जो बताते हैं कि किस तरह एक अच्छे मक़सद के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जा सकता है|
- अक्सर छात्रों के राजनीतिक समूह इस बात को पक्का बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं कि कॉलेजों में छात्रों को उचित सुविधाएँ मिलें, फ़ी में अनचाही बढ़ोतरी न हो, और कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन उचित ढंग से काम करे आदि|
- राजनीति में रुचि रखने वाले युवाओं को छात्र राजनीति के जरिए ही राजनीतिक अभियानों को चलाने, नीतिगत बदलावों के लिए एडवोकेसी करने के अनुभव मिलते हैं| ये उन्हें सक्रिय नागरिक बनने में मदद करते हैं भले ही वे आगे चल कर कोई चुनाव न लड़ें|

जनीति में युवाओं की भागीदारी के सामने बाधाएँ

- युवाओं को अक्सर लगता है कि राजनीति एक जोखिम भरा पेशा है| सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ उन्हें राजनीति में शामिल होने से दूर रख सकती हैं|
- कई युवक चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आते क्योंकि वे चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी धन और मानव संसाधन नहीं जुटा पाते|
- यह भी हो सकता है कि राजनीतिक दलों को लगे कि युवा उम्मीदवार जीत नहीं सकते हैं और वे उन्हें टिकट न दें|
- संभव है कि उन्हें अपने परिजनों और दोस्तों का समर्थन नहीं मिले, वे उन्हें चुनाव लड़ने से हतोत्साहित भी कर सकते हैं| इसकी जगह उन्हें अपनी पढ़ाई और करियर बनाने पर ध्यान देने को कहा जाता है|

?

क्या आपको लगता है कि अधिक से अधिक युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? ऐसा क्या किया जा सकता है ताकि अधिक युवा चुनाव लड़ने को तैयार हों?

क्या आपके आसपास कोई ऐसा युवा है जिसने चुनाव लड़ा हो? उस चुनाव का क्या नतीजा निकला और उनका अनुभव कैसा था?

क्या आपने कभी चुनाव लड़ा है? आपका अनुभव कैसा था?

40 साल का होने से पहले क्या आप कभी चुनाव लड़ना चाहेंगे? हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं?

शब्दावली

निर्वाचन क्षेत्र:

एक ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं| सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र हैं|

सार्वजनिक प्राधिकार:

कोई भी संस्था, कार्यालय या संस्थान जो सीधे सीधे या परोक्ष रूप से सरकार से जुड़ा हुआ हो या सरकारी धन से चलता हो|

प्राक-विधायी परामर्श नीति (पीएलसीपी)

यह विधेयकों या नियमों के मसौदों को संसद में पेश किए जाने, या सरकार द्वारा नोटिफाई किए जाने से पहले उन पर जनता और पक्षकारों की राय जानने की एक प्रकिया है|